15/2/12

23.2.12

1. सौभागसिंह पिता गंभीरसिंह आयु 51 वर्ष,
निवासी ग्राम अमरपुरा तह.बागली जिला देवास

2. सायराबाई पति सौभागसिंह आयु 48 वर्ष,
निवासी ग्राम अमरपुरा तह. बागली जिला देवास ..अपीलांटस

विरुद्ध

निर्भयसिंह पिता कनीराम निवासी ग्राम
बैगमखेडी तह. व जिला इंदौर म.प्र. ....रिस्पोंडेंट

अपील धारा 44(2) म. प्र. भू. रा. सं. 1959 के अन्तर्गत

AXXIX(a)BR(H)-11

(11)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 435–एक/12 जिला -- देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया है, उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में अवधि विधान के आवेदन में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो कि आवश्यक है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं दिये हैं जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	